<u>**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ**</u>

पीठासीन अधिकारी **(मांगी लाल)** आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 251 क(1) आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः 058/2025

1 रविन्द्र कुमार पुत्र चौधरी बालकृष्ण जाति जाट निवासी ढाणी 9 एमजेडडब्ल्यू हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

2 राजेन्द्र कुमार पुत्र चौधरी बालकृष्ण जाति जाट निवासी ढाणी 9 एमजेडडब्ल्यू हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

3 राजेश कुमार पुत्र चौधरी बालकृष्ण जाति जाट निवासी ढाणी 9 एमजेडडब्ल्यू हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

4 सुनील कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी 9 एमजेडडब्ल्यू हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

5 सोहनलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी 9 एमजेडडब्ल्यू हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

–:प्रार्थीगण

<u>**बनाम्**</u>

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

–:अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार – अप्रार्थी

–::<u>निर्णय</u>::–

दिनांक ....

अधिवक्ता प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर. टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पत्र व्यवहार के प्रमाणिक एवं पंजीबद्ध पता वही है जो शीर्षक प्रार्थना पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम चक 10 जेडएमडब्ल्यू मे मुस्तरका खाता में खाता संख्या 107/9 जमाबंदी सम्वत 2077-80 मे पत्थर नम्बर 170/369 किला न. 8, 12, 13 मे 0.557 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 171/368 किला न. 18, 21, 22 व 23 में कुल 0.733 हैक्टेयर कुल 1.290 है. भूमि है। इस भूमि के अन्तर्गत पत्थर नम्बर 171/369 के किला न. 23/2/0.051 में नलकूंप लगा हुआ है। नकल जमाबंदी प्रस्तुत है।

यह कि इसी प्रकार प्रार्थीयान के परिवार की भूमि राजेन्द्र कुमार पुत्र बालकृष्ण के नाम चक 9 एम.जेड.डब्ल्यू ने खाता संख्या 45/37, संवत् 2074-77 में पत्थर नम्बर 176/374 मे कि.न. 01, 10, 11, 19, 20, 21, 22 मे कुल 1.771 है. व प.न. 176/375 कि.न. 01, 02, 10, 11 में 0.822 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल 2.593 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीयान के चक 10 एमजेडडब्ल्यू के प.न. 171/368 के किला न. 23/2 मे नलकूप लगा हुआ है जिसका पानी [illegible] आसानी से हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.28 14:20:16 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीयान की दूसरी कृषि भूमि ज[illegible]क [illegible] एमजेडडब्ल्यू में पड़ती है उसमे पूर्णरूप से पानी खेती के लायक नहीं है इसलिए चक [illegible] मे लगे नलकूप से आसानी से पानी लगाकर खेती की जा सकती है।

यह कि चक 9 एमजेडडब्ल्यू की कृषि भूमि मे भूमिगत पानी पूर्णरूप से खेती लायक नही है इसलिए उस पानी से सही खेती नहीं हो सकती इसलिए प्रार्थीयान अपनी चक 10 एमजेडडब्ल्यू की कृषि भूमि जिससे नलकूल प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार लगा हुआ है से भूमिगत पाईपलाईन के जरिये चक 9 एमजेडडब्ल्यू की अपनी कृषि भूमि मे सिचांई की व्यवस्था करना चाहते है।

यह कि इस हेतू प.न. 171/368 के किला नम्बर 23/2 मे लगे नलकूप से पानी लेने के लिए भूमिगत पूर्ण गहराई पर पाईप लाईन लगाने के लिए अनुमति हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहे है जिसके अनुसार प.न. 171/368 के किला न. 23/2 के नलकूप के साथ प.न. 369 की लाईन पर यानि प.न. 171/368 के किला न. 21 ता 25 मे रास्ता है और इसी प्रकार यह रास्ता पत्थर नम्बर 172/368 के किला न. 21 ता 25 मे पड़ता है और इसके बाद यह रास्ता प.न. 172 की लाईन पर चलते हुये प0न0 173/369 से लेकर 173/373 तक रास्ता इन पत्थरों के प्रत्येक के किला नम्बर 01, 10, 11, 20, 21 में चल रहा है जो मजूंर शुदा है और 33 फुट चौड़ा है। इसी प्रकार चक 9 एमजेडडब्ल्यू मे लेकर 174/373 से लेकर 175/373 तक रास्ता पूर्व पश्चिम किला नम्बर 21 ता 25 चल रहा है जो मौका पर ये रास्ता मोजूद है जो नजरी नक्शा मे पटवारी हल्का द्वारा संयुक्तरूप से चक 10 एमजेडडब्ल्यू व 9 एमजेडडब्ल्यू के दोनो पटवारी द्वारा संयुक्तरूप से जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस रास्ता के अंतर्गत आसानी से प्रार्थयान की पाईप लाईन प.न. 171/368 से सीधे प्रार्थीयान के खेत मे चक 9 एमजेडडब्ल्यू में दर्ज भूमि में पानी जा सकता है और पानी प्रार्थीयान की भूमि मे लग सकता है। जिसमे किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

यह कि इस मामला मे मात्र 1 मुरब्बा प.न. 173/373 के किला नम्बर 21 ता 25 मे सड़क बनी हुई है जिसके साथ साथ आसानी से भूमिगत पाईप लाईन ले जाई जाकर प्रार्थीयान के कृषि भूमि में आसानी से पहुच जाती है और किसी की भूमि इसमे नही आयेगी। इस प्रकार प्रार्थीयान की खुद की भूमि से प्रार्थीयान की खुद की दुसरी जगह भूमि के भूमिगत पाईपलाईन अपने नलकूंप से लेकर अपने खेत की कृषि भूमि मे किसी प्रकार की कोई कानूनी रूकावट नहीं है और ना ही किसी को कोई परेशानी है।

यह कि प्रार्थीयान उक्त भूमिगत पाईप की मरम्मत व व्यवस्था रखेंगे। किसी काश्तकार को कोई नुकसान नही होने देगे। पटवारी हल्का द्वारा दिया गया नक्शा प्रार्थीयान की भूमि, रास्ता व नलकूप तथा सहमत अप्रार्थीयान की भूमि के नक्शा सहित प्रस्तुत है जो सारी स्थिति को स्पष्ट करता है।

यह कि इस प्रकरण में संयुक्त खाता की भूमि है व नलकूप से प्रार्थीयान की पाईप लाईन रास्ता जो खेतो के लिए मंजूरशुदा है उस रास्ता के अंतर्गत एक साईड पाईप लाईन डालने का निवेदन किया जा रहा है। चूंकि रास्ता की भूमि गैरमुमकिन भूमि है इसलिए तहसीलदार माल लैण्ड होल्डर है इसलिए पक्षकार बनाया गया है।

यह कि प्रार्थीयान को अपने प्रार्थना पत्र ने दर्ज नलकूप से पानी ले जाने के लिए पाईपलाईन भूमिगत ले जाने के लिए अन्य कोई सुगम रास्ता व स्थान नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र भूमिगत पाईप लाईन अपने नलकूप से लेकर अपनी भूमि तक जमीन में गाढ़ कर ले जाने के लिए निवेदन किया जा रहा है जो सबसे सुलभ व निकटतम है जिससे विशेषरूप से किसी की भूमि को कोई नुकसान नही पहुचता है तथा एक मुरब्बा के सारे काश्तकार जिनकी भूमि मे रास्ता मंजूरशुदा नहीं है लेकिन वे प्रार्थीयान को पाईपलाईन उनकी भूमि के भूमिगत रूप से ले जाने देने के लिए सहमत है।

यह कि प्रार्थना पत्र मे अंकित कृषि भूमि [illegible] हनुमानगढ मे स्थित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अर्थाधिकार [illegible] व उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 10 जेडएमडब्ल्यू में मुस्तरका खाता मे रा[illegible] संख्या 107/9 जमाबंदी सम्वत 2077-80

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.23 14:20:16 IST
Reason: Self Attested

में पत्थर नम्बर 170/369 किला 8, 12, 13 से 0.557 हेक्टेयर व प.न. 171/368 कि.न. 18, 21, 22, 23 कुल 1.290 हैक्टेयर कृषि भूमि है। इस भूमि के अन्तर्गत पत्थर नम्बर 171/368 के किला न. 23/2/0.51 में नलकूंप लगा हुआ है से प.न. 171/368 के कि.न. 23, 24, 25 व प.न. 172/368 के कि.न. 21 ता 25 के रास्ता जो पूर्व पश्चिम चालू है से प.न. 172 की लाईन पर प.न. 173/369 से 173/374 तक प्रत्येक मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में से होते हुये व प.न. 374 की लाईन पर प.न. 173/373 के कि.न. 21 ता 25 व प.न. 175/373 के कि.न. 21 ता 25 तक मे से पाईपलाईन भूमिगत लगाने का आवेदन स्वीकार कर अनुमति प्रदान की जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से पत्रांक राजकाज 14544204 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें पूरे रास्ते पर केवल उक्त 1 मुरब्बा मौका पर पक्की डामर सड़क है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किंतु मौका पर चालू है। शेष पूरा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कोई विवाद नहीं है। कोई बाधा नहीं है। अनुमति दिया जाना उचित है, का अंकन तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में किया गया है।

तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में पाईपलाइन डालने हेतु स्वीकृति किए जाने की अनुशंषा की है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता/पाईपलाइन प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ. निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया–

1 **पाईपलाइन की अत्यांतिक आवश्यकता।**
2 **वैकल्पिक पाईपलाइन का अभाव।**
3 **भूमि से लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व तहसीलदार हनुमानगढ की जरिये पत्रांक राजकाल 14544204 दिनांक 02.04.2025 द्वारा तैयार मौका व जांच रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ ने अपनी मौका पाइपलाईन डालने हेतु अनुशंषा की है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण को पाईपलाईन डालने की की अत्यांतिक आवश्यकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित पाईपलाइन व तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा सुझाया गया मौका रिपोर्ट अनुसार समान है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में पानी आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है किः–

–ः<u>क्रिन्याविति आदेश</u>ः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 10 जेडएमडब्ल्यू में मुस्तरका खाता मे खाता संख्या 107/9 जमाबंदी सम्वत 2077–80 में पत्थर नम्बर 170/369 किला 8, 12, 13 से 0.557 हेक्टेयर व प.न. 171/368 कि.न. 18, 21, 22, 23 कुल 1.290 हैक्टेयर कृषि भूमि है। इस भूमि के अन्तर्गत पत्थर नम्बर 171/368 के किला न. 23/2/0.51 में नलकूंप लगा हुआ है से प.न. 171/368 के कि.न. 23, 24, 25 व प.न. 172/368 के कि.न. 21 ता 25 के रास्ता जो पूर्व पश्चिम चालू है से प.न. 172 की लाईन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.23 14:20:16 IST
Reason: SelfAttested

प.न. 173/369 से 173/374 तक प्रत्येक मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में से होते हुये व प.न. 374 की लाईन पर प.न. 173/373 के कि.न. 21 ता 25 व प.न. 175/373 के कि.न. 21 ता 25 तक मे से पाईपलाईन भूमिगत लगाने का आवेदन स्वीकार कर अनुमति निम्न लिखित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है।

किः– **1** पाईपलाईन डालते समय गै.मु. रास्ते/सड़क में किसी तरह का व्यवधान नहीं किया जायेगा। **2** पाईपलाईन न्यूनतम 3 फीट गहराई में डाली जायेगी। **3** बिछाई गई पाईपलाइन के एवज में डीएलसी का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाई जायेगी। **4** पाईपलाइन डालने के पश्चात् गै.मु. रास्ते/सड़क की स्थिति पूर्ववत प्रार्थीगण द्वारा बहाल की जायेगी। **5** पाईपलाइन लीकेज होने की स्थिति में मरम्मत आदि कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा अपने स्तर पर तत्तकाल की जायेगी। पाईप लाईन में आई रास्ते की भूमि के एवज में डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थीगण द्वारा जमा राजकोष तहसील कार्यालय हनुमानगढ में जमा करवाये जाने के उपरांत अनुमति मान्य होगी। बाद जमा राशि के तहसीलदार की देखरेख में पाईप लाईन भूमिगत डलवाई जावें। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)प() के तहत् भूमि की निर्धारित डी.एल.सी दरों (राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 2, नियम 58 के अनुसार) की 10 प्रतिशत राशि देय होगी जिसकी गणना तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा करवाई जायेगी। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251–ए (2) के तहत पाईपलाइन डलवाने की कार्यवाही करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.23 14:20:16 IST
Reason: SelfAttested